

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,  
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

12 अंतर्गत

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक: जुलाई, 2016

**विषय:** जनपद--बागेश्वर के अंतर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 हेतु 3.375 हो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-331 / FP/UK/ROAD/19168/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद--बागेश्वर के अंतर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 हो वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या-एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं संख्या एफ0न0-11-09/98-एफ0सी0 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रालियानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का ग्रहण करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.75 हेतु सिविल सौयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत नारी जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास १५८ पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अंतर्गत आई0ए0स0-566 एवं भा. सरकार पत्र संख्या-5-3 / 2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्दित राशि जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 वर्गी दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएंगी।
- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के द्वारा दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों

प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या—एस0बी0—25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक—11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पहोक्स, फेज—1, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003 में जमा करने के उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस—पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू—वैज्ञानिक के रुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रभाग—पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की रिथति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति के विररक्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,  
*Moshi*  
(मीनाली जोशी)  
अपर सचिव।

संख्या: 883(1)/ ३-४-१६/ १(२७५)/ २०१६, तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित ऊं सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफटार० आई०, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्दिष्ट विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी गुगाँड़ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय अनावृती, लोकोपयन वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. अधिशासी अधिकारी, निर्ख०, लो०नि०वि०, कपकोट।
7. निदेशक, राष्ट्रीय रुद्रा केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सर्विकाज्य परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपर्या इस शासनादेश को एन०आई०सी० की वेबसाईट पर अपलोड करने का कार्य करें।
8. गार्ड फाई०।

आज्ञा से  
*४१२५*  
(आर० के० तोमर)  
संयुक्त सचिव।